प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.06.2024

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.06.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा रूपयों के लेन देन को लेकर मेरे पुत्र अमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसमें तत्काल थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 03-06-2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में 02 अभियुक्तों 1. जिले सिंह पुत्र जयप्रकाश यादव उम्र 41 वर्ष 2. अतुल यादव पुत्र जिले सिंह उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 16.06.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट के आधार पर वांछित अभियुक्त विष्णु उर्फ काले पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद को जिन्दल पब्लिक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त विष्णु उर्फ काले पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद ने बताया में अपने पिता जी के साथ साहिबाबाद मंडी मे आढ़त का काम करता हूँ और हमारे यहाँ अमल यादव (मृतक) बतौर मुंशी का काम करता था। अमल यादव ने साल 2010 से 2023 तक हमारे यहाँ मुंशी का काम किया था और उसके ऊपर कुछ रुपये निकल रहे थे, जब भी अमल यादव से रुपये मांगे तो वह टालमटोल कर देता था उसके बाद उसने हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ दी और कहीं और काम करने लगा। जब भी अमल यादव से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मुझ पर कोई पैसा नहीं है और मैं कोई पैसा नहीं दूंगा जो करना हो कर लेना। इसी बात पर दिनांक 03/06/2024 को शाम को समय करीब 07:30 बजे जानकारी हुई की अमल यादव अपने प्लाट पर काम करवा रहा है और वहीं मौजूद है तो उसे जान से मारने का प्लान बनाया और अपने साथ अपने बड़े भाई अतुल यादव व अन्य को लेकर किसान आदर्श स्कूल के पास बम्हैटा में अमल यादव के प्लाट पर गया था जहां अमल यादव मकान का निर्माण करवा रहा था अमल यादव से पैसों को लेकर मेरे पापा जिले सिंह की कहा सुनी हो गयी थी। बात काफी बढ़ गयी तो मेरे पापा जिले सिंह व बड़े भाई अतुल यादव ने अमल यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचों से अमल यादव पर फायरिंग कर दी जिससे गोली लगने से अमल यादव वहीं जमीन पर गिर गया था इसके बाद हम सभी लोग वहाँ से भाग गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

विष्णु उर्फ काले पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा सुनार की दुकान में चोरी की घटना कारित करने वाला 50,000/- रूपये का ईनामिया अभियुक्त अपने सहयोगी साथी सहित गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित चांदी के 02 सिक्के बरामद।

दिनांक 10.01.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी सोनू वर्मा पुत्र हरदुआरी लाल निवासी उत्तरांचल कॉलोनी ने तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा मेरी बंद दुकान से सोने व चांदी का सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात दिनांक 31.01.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों 1. परशुराम पारदी पुत्र सेतुराम पारदी उम्र करीब 35 वर्ष 2. धर्मोद पारदी पुत्र खन्डेल पारदी उम्र करीब 22 वर्ष 3. परमजीत पारदी उर्फ कुत्ती पुत्र अजीत पारदी उम्र करीब 18 वर्ष 4. धनीराम पारदी पुत्र सेतुराम पारदी उम्र करीब 20 वर्ष 5. गुमान पारदी पुत्र बालू पारदी उम्र करीब 55 वर्ष 6. बलदीप पारदी पुत्र गुमान पारदी उम्र करीब 18 वर्ष 7. आशिक पारदी पुत्र विनोद पारदी उम्र करीब 20 वर्ष 8. विनोद पारदी पुत्र जानकी पारदी उम्र करीब 52 वर्ष 9. लंगडी पुत्र मनोहर निवासीगण ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 27 वर्ष 10. दौलत राम यादव पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम डुमावन थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था, कब्जे से 05 सब्बल छोटे एवं बड़े, एक हैण्ड हेल्ड टार्च, एक हथौड़ा, 08 किलो 134 ग्राम सफेद धातु आभूषण, दो नग कान के कुण्डल पीली धातु बरामद हुए थे एवं दिनांक 02.05.2024 को 01 अभियुक्त कोहिनूर पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम कनेरा थाना धरनावदा जिला गुना मध्यप्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक चांदी का सिक्का जिस पर गणेश की मूर्ति छपी है व एक पाजेब सफेद धातु, एक पैण्डल सफेद धातु, काफी मात्रा में चांदी की चुटकी व अन्य छोटी-छोटी वस्तुएं बरामद हुई थी।

दिनांक 15-06-2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सुनार की दुकान में चोरी की घटना कारित करने वाला 50 हजार रूपये का ईनामिया अभियुक्त 1. नामे उर्फ नामेश्वर पुत्र रुस्तम ग्राम बिलाखेडी जनपद उज्जैन मध्यप्रदेश उम्र 26 वर्ष व इसका सहयोगी साथी 2.सुरेन्द्र पुत्र रज्जू निवासी रेल पटरी चिमनगंज क्षेत्र उज्जैन उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 02 चांदी के सिक्के सफेद धातु बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त नामे उर्फ नामेश्वर की गिरफ्तारी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में ईनामिया अभियुक्त नामे उर्फ नामेशवर ने बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में एक सुनार की दुकान से चोरी की थी उसी घटना के चांदी के सिक्के है ये जिन्हें हम सैम्पल के तौर पर सुनार को बेचने हेतु ले जा रहे थे तथा सुरेन्द्र के बारे मे कडाई से पूछने पर बताया कि यह सुरेन्द्र मेरी मौसी का लडका है जो रिश्ते में मेरा भाई लगता है जो हमारे द्वारा चोरी किये गये सोने चांदी के सामान को बिकवाने के काम करता है। 3-4 दिन पहले सुरेन्द्र ने उज्जैन में गोपाल मंन्दिर के पास किसी सुनार को

05 लाख का सोना करीब साढे 12 तोला बेचा था जिससे प्राप्त 05 लाख रुपये मेरे भाई भगत को दिया था। यह मुझे किसी सुनार के पास सामान दिखाने के लिए ले जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. नामे उर्फ नामेश्वर पुत्र रुस्तम निवासी ग्राम बिलाखेडी जनपद उज्जैन मध्यप्रदेश, उम्र करीब 26 वर्ष
2. सुरेन्द्र पुत्र रज्जू निवासी रेल पटरी चिमनगंज क्षेत्र उज्जैन, उम्र करीब उम्र 43 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा धारा- 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी के 02 सिक्के चांदी के सफेद धातु बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम व एसटीएफ गौतमबुद्धनगर

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 16.06.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र युनुस निवासी राज्जूपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को डासना फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण/पूर्व की कार्यवाही

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी व कूट रचना कर जमीन का फर्जी एग्रीमैन्ट बनवाना व लोगों से पैसे हड़प लेना व पैसे वापस मांगने पर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना मसूरी पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसके तीन साथियों (1) गुलजार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद (2) अलीजान पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद (3) छोटू पुत्र अलीजान निवासी निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद को दिनांक 12.06.2024 को गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम/पता

अनीस पुत्र युनुस निवासी राज्जूपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र 42 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त अनीस पुत्र युनुस उपरोक्त पर पूर्व में थाना मसूरी पर 01 धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत है तथा 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम